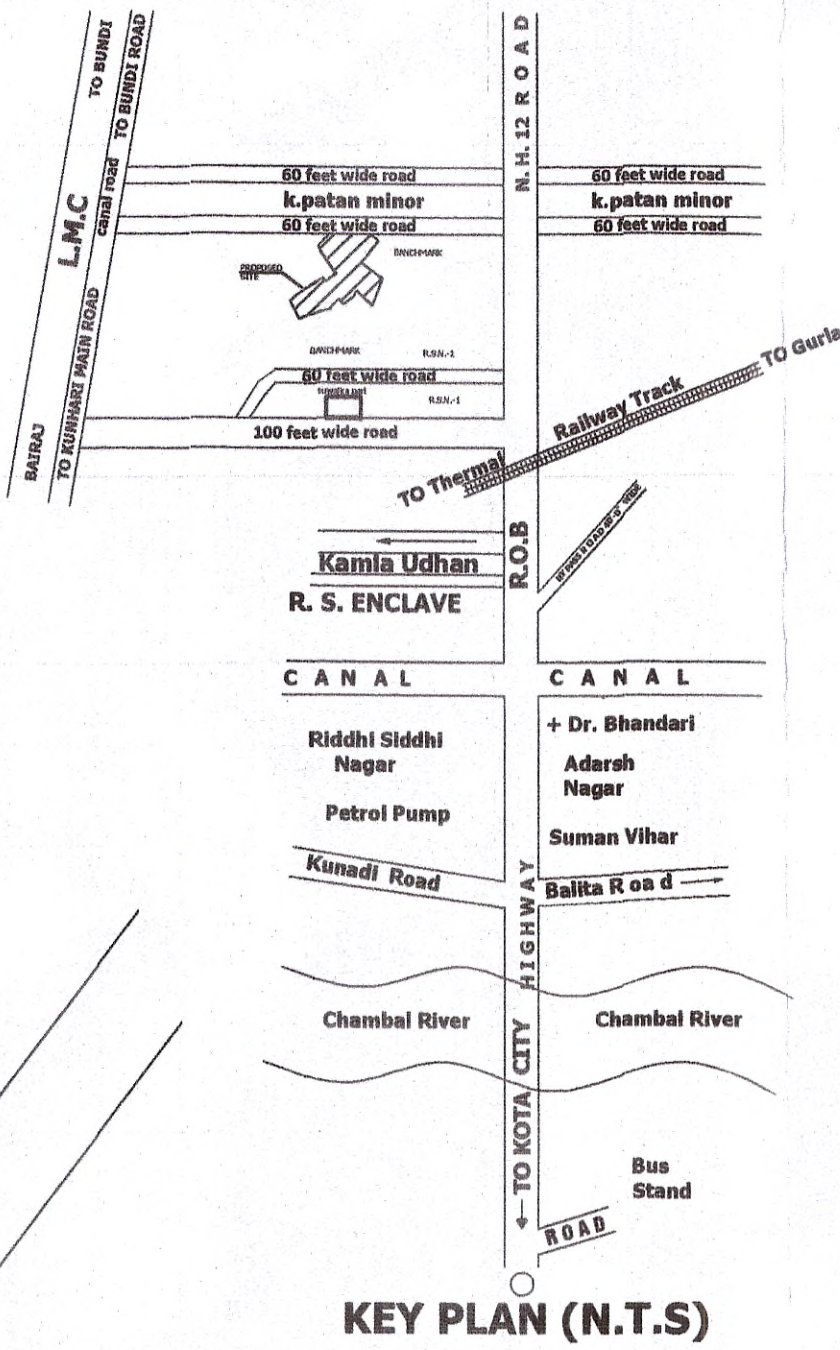
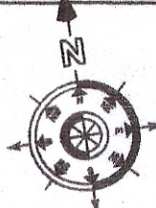


PROPOSED LAYOUT PLAN FOR
RESIDENTIAL PLOT'S SCHEME AT
VILLAGE :NAYAKHERA, TEH.
LADPURA, DIST. KOTA
(RAJ.)KHASRA
NO.-507,508,509,511,514,
522,522/563,607/523,&523/1



SCALE = 1CM = 30 MT.

S.NO	PARTICULARS	AREA IN SQM	AREA %
1.	PLOT - 156 NOS	23011	45.93%
	E.W.S - 26 NOS	2570	5.13%
	L.I.G - 19 NOS		
	TOTAL PLOT AREA	25581	51.06%
2.	I.C (NO. OF SHOP-42)	910	1.82%
3.	COMM.	2095	4.18%
4.	PARK	2538	5.07%
5.	P.U	2512	5.01%
6.	O.C.F	840	1.68%
7.	SECTOR ROAD	1662	3.32%
8.	ROAD AREA	13962	27.86%
	TOTAL	50100	100%



SCALE = 1cm=30mtr

संशोधित ले-आउट प्लान (अवधीय प्रयोजनार्थ) करार नं० 507 से 509 व 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523, ग्राम नयकहेरा क्षेत्रफल 50100 वर्गमीटर (Mark-A to T)

ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 23/9/2021 में तैयार हुए विवरणानुसार निम्न शर्तों के साथ संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

Residential	I.C.	Comm.	Park
25440.6 Sqm	910 Sqm	2095 Sqm	2538 Sqm
50.78 %	1.82 %	4.18 %	5.07 %
Facility	O.C.F.	Under Sector Road	Road Area
2512 Sqm	840 Sqm	1662 Sqm	14102.4 Sqm
5.01 %	1.68 %	3.32 %	28.14 %
Total Area - 50100 SQM			

- प्लान सड़क का मापनिकर व्युत्पन्न 60 फीट रखा जावे।
- राजस्थान पोलिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- योजना में दर्शाए गए EWS/LIG के भूखण्डों का विधायन मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राधानानुसार करना होगा।
- आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाह्य टर्मिनस पोलिसी-2010 के अनुसार तत्कालीन प्रस्तुत करने होंगे एवं तकनीकी का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरंत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।
- नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(77)नवि/3/2009 पर्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्राधान रखे जाने होंगे।

नोट :-

योजना के आंतरिक विकास के पेटे विवरणानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड नं० 0-023 से 0-031 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आवंटित किये जाते हैं, जिनमें पेटे रेंज से रखाया गया है। 12.5 प्रतिशत आवंटित भूखण्ड को रेंज रखे जाने हेतु योगेश डीड रंगारित करवावे। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरंत विवरणानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

S.NO	KHASRA NO	AREA IN HACT.
1.	507	1.06
2.	508	0.97
3.	509	1.00
4.	511	0.02
5.	514	0.06
6.	522	0.40
7.	522/563	0.38
8.	607/523	0.56
9.	523/1	0.56
10.		
11.		
12.		
	TOTAL	5.01
TOTAL AREA 5.01 HACT.		



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/

दिनांक :- /04/2024

-:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना) खसरा नम्बर 507 से 509, व 511, 514, 522, 522/563, 523/1, 607/523 ग्राम नयाखेड़ा क्षेत्रफल 50100 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 23/09/2021 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 % (प्रतिशत) में भूखण्ड संख्या O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टेड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 04/07/2023 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड संख्या O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

न्यास के आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा दिनांक 14/03/2024 को I.C.I.C.I बैंक एरोड्राम सर्किल, कोटा की एफ.डी.आर. जिसका क्रमांक 21650057, राशि 21,96,000/-, प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्वरूप भूखण्ड संख्या O-023 से O-051 कुल भूखण्ड 29 क्षेत्रफल 3656 वर्गमीटर आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

-sd-
सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/ 1959-61
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 14/5/24
/04/2024

- (1) उप सचिव (द्वितीय), नगर विकास न्यास, कोटा।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई.सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- ✓(3) श्री नीरज सुवालका पुत्र श्री गिरीराज प्रसाद सुवालका एवम् श्रीमति सुनीता सुवालका पत्नि श्री नीरज सुवालका निवासी 351, रिद्धि सिद्धि नगर प्रथम, कुन्हाड़ी, कोटा (राज0)।


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा